न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 121/2017

अनवान :

1. सुरजभान पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
2. होशियारसिंह पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. सांवतराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
2. भानमति पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
3. खुशी } पुत्र/पुत्री स्व0 जोगेन्द्रसिंह जाट नाबालिग
4. रोहित } जरिये माता मैना निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
5. मैना पत्नी स्व0 जोगेन्द्रसिंह जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीगण
निर्णय **दिनांक :** 4-1-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 102/96 के मु0नं0 22 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता व खाला की तथा चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 108/102 के मु0नं0 5 के किला नं0 13 ता 18, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 12, 19, 20 की कुल 2.530 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 87/88 के मु0नं0 8 के किला नं0 14 ता 17, 25 मु0नं0 9 किला नं0 8 ता 13, 18 ता 22 कुल किता 16 की 3.998 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सांवतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादीगण के दादा उदमीराम की हुआ करती थी। इस प्रकार वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक एवं संयुक्त परिवार की खातेदारी है। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की तथा वादीगण की दादालाई होने के कारण उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार है परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी सांवतराम के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज चली आ रही है, जिससे प्रतिवादी को कोई हक अधिकार हासिल नहीं होते है।

वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी भानमति व प्रतिवादी सांवतराम ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 के पिता व पति जोगेन्द्रसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादीगण सांवतराम के नाम से दर्ज है वह वादीगण व वादीगण के भाई जोगेन्द्रसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई। जोगेन्द्रसिंह के देहान्त होने पर जोगेन्द्र के हिस्सा की अर्थात् 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण के पास चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी सांवतराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरजभान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी 9 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 102/96 सम्वत् 2073–76 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी 10 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 108/102 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी 12 जेजीडब्ल्यु खाता सं0 87/88 सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 3, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी (खतौनी) चक 12 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 10 जोगीवाला सम्वत् 2016प्रदर्श 5, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जोगिन्द्र सिंह, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित आराजी दादालाई पैतृक कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 9, 10, व 12 जेजीडब्ल्यु में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि हेतु वादीगण ने फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी (खतौनी) चक 12 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 10 जोगीवाला सम्वत् 2016प्रदर्श 5, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है जिनमें विवादित कृषि भूमि वादीगण के दादा उदमी वल्द श्रीचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र में सांवतराम के वारिसान में पत्नि ओमपती देवी, तीन पुत्र जिनमें सुरजभान, होशियारसिंह मौजूद व जोगेन्द्रसिंह (मृतक) व एक पुत्री भानवती मौजूद होना अंकित है एवं जोगेन्द्रसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है व उसके विधिक वारिसान को प्रतिवादी सं0 3 से 5 के क्रम में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 102/96 के मु0नं0 22 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता व खाला की तथा चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 108/102 के मु0नं0 5 के किला नं0 13 ता 18, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 12, 19, 20 की कुल 2.530 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 87/88 के मु0नं0 8 के किला नं0 14 ता 17, 25 मु0नं0 9 किला नं0 8 ता 13, 18 ता 22 कुल किता 16 की 3.998 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सांवतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में वादीगण प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 खुशी, रोहित व मैना 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा वादीगण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 खुशी, रोहित व मैना 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 121/2017

अनवान :

1. सुरजभान पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
2. होशियारसिंह पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादीगण**

बनाम

1. सांवतराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
2. भानमति पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
3. खुशी } पुत्र/पुत्री स्व0 जोगेन्द्रसिंह जाट नाबालिग
4. रोहित } जरिये माता मैना निवासी रामगढ़िया तहसील भादरा।
5. मैना पत्नी स्व0 जोगेन्द्रसिंह जाट निवासी रामगढिया तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 102/96 के मु0नं0 22 के किला नं0 2, 3, 8, 9 की 1.012 है0 नहरी मय रास्ता व खाला की तथा चक 10 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 108/102 के मु0नं0 5 के किला नं0 13 ता 18, मु0नं0 6 के किला नं0 11, 12, 19, 20 की कुल 2.530 है0 नहरी मय रास्ता व चक 12 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 87/88 के मु0नं0 8 के किला नं0 14 ता 17, 25 मु0नं0 9 किला नं0 8 ता 13, 18 ता 22 कुल किता 16 की 3.998 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सांवतराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में वादीगण प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 खुशी, रोहित व मैना 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने विवादित आराजी में से अपना हिस्सा वादीगण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी सं0 3 ता 5 खुशी, रोहित व मैना 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.1.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़